52

11-9-19 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में वादी वकील उपस्थित हुए। प्रतिवादी एवं प्रतिवादी वकील अनुपस्थित है तीन-तीन बार आवाज लगाने पर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ प्रतिवादी सं. 1 से 3 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है.

प्रार्थना पत्र पर एक तरफा बहस सुनी गई। विवादग्रस्त भूमि मौजा सलाला की जमाबन्दी संवत 2072-75 के खाता सं. नई 36 पुरानी 32 में अंकित आराजी कुल किता 17 रकबा 1.52 हे० जो प्रार्थी के खातेदारी भूमि है उसका एक वाद R.T. Act. के तहत अन्तर्गत धारा 188 न्यायालय में विचाराधीन है प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने एवं एक तरफा बहस पर मनन कर यह आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के कब्जे की वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कब्जा नहीं करे एवं नहीं किसी अन्य से करावे वादग्रस्त भूमि कि स्थिति यथावत बनाये रखें। निरन्तर:.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी अहकाम जो इ हुक्म की ताल मे जारी हुए
	अप्रार्थी को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम होवे तथा मूल वाद पत्र के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा जि उदयपुर	